

सूचना अधिकार अधिनियम-2005जनपद सम्भल।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार जनपद सम्भल के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है :-

पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम-1861, की धारा-3 के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुलिस कर्मचारी को अधिकृत या नियंत्रित करने के लिए सक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशान में कार्य करती है जनपद में 01 अपर पुलिस अधीक्षक, 04 पुलिस उपाधीक्षक व 12 थानाध्यक्षों के सृजित है।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन-

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है-

पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल		
जनपद स्तर पर क्षेत्राधिकारी	सर्किल स्तर पर क्षेत्राधिकारी	थाना स्तर पर क्षेत्राधिकारी
1.अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल।	क्षेत्राधिकारी सम्भल	1.कोतवाली सम्भल
		2.थाना नखासा
		3.थाना हयातनगर
		4.थाना असमोली
	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	5.कोतवाली चन्दौसी
		6.थाना बनियाठेर
		7.थाना कुढ़फतेहगढ़
		8.थाना बहजोई
	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	9.कोतवाली गुन्नौर
		10.थाना धनारी
		11.थाना रजपुरा
	क्षेत्राधिकारी लाईन	12.महिला थाना, बहजोई
		13.पुलिस लाईन/पुलिस कार्यालय

1.2

जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी

क्र० सं०	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1.	पुलिस रेडियों भाखा	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
2.	स्थानिय अभिसूचना ईकाई	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
3.	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
4.	वी०आई०पी०	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
5.	पुलिस लाईन	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
6.	भवन	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
7.	पत्र व्यवहार भाखा	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
8.	नगर नियंत्रण कक्ष	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
9.	फायर सर्विस सम्भल	मुख्य अग्नि तामन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक
10.	फायर सर्विस चन्दौसी	मुख्य अग्नि तामन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक
11.	फायर सर्विस गुन्नौर	मुख्य अग्नि तामन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक
12.	आंकिक भाखा	क्षेत्राधिकारी सम्भल	पुलिस अधीक्षक
13.	अपराध भाखा	क्षेत्राधिकारी लाईन / चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक
14.	महिला सहायता प्रकोश्ट	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर / कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
15.	सिटीजन चार्टर	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर / कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
16.	वि शेष जाँच प्रकोश्ट	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर / कार्यालय	पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारंटों का पालन एवं निस्पादन करें, लोक भागान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक अवदूशन का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और नयायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की भाक्तियों एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, 1900सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न भासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :-

2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की भाक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की भाक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में िथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विेश पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या भ्रान्ति भगं हुयी हो या होने की गम्भीर सम्भावना हो विेश पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की भाक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निस्पादन करें, लोक भ्रान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक अवदूशन का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है। तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारंट किसी भाराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेा करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लवारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की भाक्ति।
30क	उपरोक्त अनुमति की भातों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की भाक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी पंु का वध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, पंु गाडी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कूड़ा फेंकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व भारीर का अिाष्ट प्रदर्िन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अभिरक्षा में ले लें।
34क	उपरोक्त अपराध के भामन करने की भाक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हें स्वतन्त्रापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सूचना के जितने साधन होंगे तदनु रूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंानर्स से उनका सम्पर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रिति से जिले में थानों व पुलिस लाईन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विशयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवयक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथा सम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवयक</p>

	है। पुलिस अधीक्षक द्वारा भासकीय आदे 1 की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबन्धित अंतर्विष्ट अनुदे 10 का अनुसरण किया जाना चाहिए।
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश 1 पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाईन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुपासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध वा बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सब इन्सपेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी भाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्ट्रो, अभिलेखो, विवरणियों और रिपोर्टों की भुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परीधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कास्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफती 1 नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नम्बर 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधिनस्थों को बताना, अनवेषण करना होता है।
55 हेड मोहर्रर	हेड मोहर्रर के कर्तव्य 1.रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। 2.हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नम्बर 224) 3.यदि पुलिस अधीक्षक आदेश 1 दे तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 वीट आरक्षी	कान्सटेबिल नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी डियूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य संपत्तियों की रक्षा करेगा। वीट कान्सटेबिल के रूप में संदिग्ध अपराधियों फरार अपराधी तथा खानाबदो 1 अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 स इस्त्र पुलिस	स इस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुडसवार	घुडसवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द0प्र0सं0 की धारा	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन भाक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित द ाओं में करने की भाक्तियों 1.सज्ञेय अपराध की द ा में। 2.कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3.उद्घोषित अपराधी। 4.चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5.पुलिस अधिकारी के कर्तव्य व पालन में बाधा। 6.स ास्त्र बलों का भगोड़ा। 7.भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8.छोड़े गये सिद्धदोश बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9.वांछित अपराधी।
42	नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
47	उस स्थान की तला ि जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी का उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भाक्ति।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आव यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों पर जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तला ि।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की भाक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनाव यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट की गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कही भी गिरफ्तार करने की भाक्ति।
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तला ि लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की भाक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को

	तितर बितर करने की भाक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए स इस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की स इस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की भाक्ति।
132	धारा-129, 130, 131 के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधो के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/अधिग्रहण ।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निगुल्क दी जायेगी। भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार सम्बन्धित पुस्तिका में प्रविष्टित करायेगा और इत्तिला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को भाक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्ष्यों की हाजरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की भाक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्ष्यों का परिक्षण किये जाने की भाक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनो के किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जब्ती के कारणो को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की भाक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो ता मामलो को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा स इक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को भामन करने की भाक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद निर्णय में गिरफ्तारी निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनो के निम्नलिखित दायित्व आवधारित किये गये हैं।

1-गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टीका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।

2-गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निः शुल्क दी जायेगी।

3-पुलिस अभिसूचना में उसे अपने रि तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धी को दी जायेगी।

4- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रि तेदार को निरूद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।

5- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित करने वह अधिकृत है।

6- गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।

7- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

8- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

9- गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।

10-जॉच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

11-गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जायेगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक: 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की भाक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही सम्बन्धी:-

1-संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रोलड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्सम्बन्धी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।

2-पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।

3-संगठित अपराधियों के विरूद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

4-संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-ताछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:-

1-सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्री शीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबि टा दिलावना।

2-फ़ॉड अपराधियों के विरूद्ध पुरस्कार घोशित करवाना।

2.5.1.3 अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण:-

1-पे षेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।

2-जेल में बन्द पे षेवर अपराधियों की जानकारी करना।

3-जेल से छूटने वाले पे षेवर अपराधियों की निगरानी।

4-अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रिकरण।

2.5.1.4 वि षे अपराधों के सम्बन्ध में:-

1-समस्त वि षे अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।

2-क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।

3-क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एक्ट के केसों को छोड़कर भोश समस्त एस0आर0 केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य-क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र-फिक्स पिकेट एवं ग त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल-क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

2.5.1.5 अभियोजन

न्यायालय में लंबित की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्नर की मासिक बैठक तथा से ान ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का वि लेशन करना।

2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार

2.5.2.1 स्थानान्तरण सम्बन्धी:-

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्ध ासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु संख्या 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में की जायेगी।

2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य:-

भासनादेश संख्या: 1460/छ:-पु-1-99-51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अकन करना।

2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी-

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जाँच करायी जा सकती है परन्तु जाँच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और भासनादेशों द्वारा प्रदत्त भाक्तियों तथा उनमें अपेक्षित कर्तव्य:-

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों व भासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दि ा-निर्देश ान प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1. अनुसंधान/विवेचना

क्र० सं०	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र०सू०रि० का पंजीकरण	154 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द०प्र०सं० के अनुसार	यथा पीघ
3.	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द०प्र०सं० के अनुसार	यथा पीघ
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथा पीघ
5.	साक्ष्य का संकलन	द०प्र०सं० के अनुसार	यथा पीघ
6.	नक्शा नजरी तैयार करना	"	निरीक्षण के समय
7.	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	"	यथा पीघ
8.	संस्वीकृति का लिखा जाना	"	"
9.	पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"
10.	तलाशी	"	"
11	निरूद्ध	"	"
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"

3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। अन्य अपराधों के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित है।

क्र० सं०	नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नं०	कार्य
----------	---------------	-------------	-------

1.	जिला नियंत्रण कक्ष	05921-100	जनपद के अन्तर्गत स्थित 11 थानों में सूचारु संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष पुलिस लाईन परिसर में स्थित है। जनपद में आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व जिला नियंत्रण कक्ष का होता है इसके अन्तर्गत हाईवे प्रथम द्वितीय मोबाईल कार्यरत है।
2.	फायर नियंत्रण कक्ष सम्भल	05923-234332 9454418530	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष सम्भल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
3.	फायर नियंत्रण कक्ष चन्दौसी	05921-250262 9454418532	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष चन्दौसी जनपद सम्भल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
4.	फायर नियंत्रण कक्ष गुन्नौर	9454418516	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष गुन्नौर जनपद सम्भल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम आपरेट की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

3.3. नििकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.3.1. थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयवाधि
1.	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	तत्काल
2.	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
3.	प्रार्थना पत्र को जननििकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
4.	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस में
5.	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आव यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस में
6.	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस में
7.	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आव यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब

8.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां0 क्लर्क द्वारा	1 वर्ष तक
----	-----------------------	------------------------------	-----------

3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयवधि
1.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक भाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
2.	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	पुलिस अधीक्षक/निमित्त राजपत्रित अधिकारी	1 दिवस
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जॉच एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित करना	पुलिस अधीक्षक	1 दिवस
4.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
5.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परि गीलन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जॉच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	2 दिवस
6.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा	अविलंब
7.	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परि गीलन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जॉच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8.	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आव यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	8 दिवस
9.	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेशित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
10.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच सही पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलंब
11.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा	2 वर्ष तक

3.3.3. पुलिस अधीक्षक को भासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयवधि
1.	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का	पुलिस अधीक्षक द्वारा	1 दिवस

	परि गीलन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जॉच हेतु आदेशित करना		
2.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जॉच हेतु प्रेशित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परि गीलन कर स्वयं जॉच करके आव यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	7 दिवस में
4.	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा	अविलंब
5.	पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परि गीलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस
6.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा	2 वर्ष तक

3.3.4. फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्त का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1.	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्नि अमन अधिकारी	15 दिवस
2.	पेटी/डीलर (फुटकर डीजल/पेट्रोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी	प्रभारी अग्नि अमन अधिकारी	उपरोक्त
3.	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4.	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजनकरअधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	होटल/लाज/रेस्टोरेन्ट धर्म माला	जिलाधिकारी/पर्यटन अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
7.	व्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8.	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.3.5 जनपद सम्मल में यातायात नियमन:-

जनपद सम्मल में यातायात डाईवर्जन करने के लिए कोई बाईपास की व्यवस्था नहीं है लेकिन श्रवण मास में ने नल हाईवे पर कांवरियों की आपार भीड हो जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले वाहनों के आवागमन हेतु निम्न प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यातायात डाईवर्जन श्रवण मास के प्रत्येक भानिवार की प्रातः 7-00 बजे से सोमवार 17:00 बजे तक प्रभावी रहता है।

1-दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जाने वाला यातायात:-

दिल्ली से लाल कुआ, (गाजियाबाद) से बुलन्द ाहर से नरौरा (वाया डिबाई) से बबराला से बहजोई से चन्दौसी से मुरादाबाद भेजा जाता है।

2-हापुड़ व मेरठ से रामपुर जाने वाला यातायात:-

हापुड़ व मेरठ से गढ़ के मध्य की ओर जाने वाले भारी वाहन गढ़ चौपला जनपद हापुड़ से डायवर्ट कर बुलन्द ाहर, नरौरा (जनपद बुलन्द ाहर), बबराला (जनपद सम्भल), नरौरा (जनपद बुलन्द ाहर) होते हुए गन्तव्य को भेजा जाता है।

3-रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात:-

रामपुर की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनो को जनपद रामपुर क्षेत्रान्तर्गत भाहबाद से डायवर्ट कर बिलारी (मुरादाबाद), चन्दौसी (जनपद सम्भल), बबराला (जनपद सम्भल), नरौरा (जनपद बुलन्द ाहर) होते हुए गन्तव्य को भेजा जाता है।

4-सम्भल से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात:-

सम्भल से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बहजोई, बबराला, डिबाई, बुलन्द ाहर होते हुए दिल्ली भेजा जाता है।

5-हसनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात:-

हसनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को सम्भल, बहजोई, बबराला, बुलन्द ाहर होते हुए दिल्ली भेजा जाता है अथवा अतरासी अमरोहा, नूरपुर/चादंपुर से हल्दौर बिजनौर, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदी नगर से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाता है।

3.3.6.1 प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 10/2020/752/तीस-4-2020/01(सा0)/2017 लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2020 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन

अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र० सं०	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा	द्वितीय एवं बार-बार अपराध करने पर
1.	वहन चलाते समय मोबाईल फोन/ईयरफोन का उपयोग करना	21(25)cmvr	1000	10000
2.	बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना	129/177	1000	2500
3.	यातायात के नियमों का उल्लंघन एवं बिना संकेतो के लेन/गली बदलना	119/177	500	1500
4.	तीन सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाना	128/177	1000	
5.	सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक ढंग से वाहन को पार्क करना	122, 126/177	500	1500
6.	चर पहिया यान के ड्राइवर तथा आगे की सीट पर बैठर सवारी द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न किया जाना	138(3)	1000	-

7	दोश पूर्ण नम्बर प्लेट या बिना नम्बर के वाहन चलाना	51 / 192	5000	10000
8	विधि प्रदत्त नियमों का उल्लंघन करना/विधि के निर्देशों का पालन न करना	179(1)	2000	—
9	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	179(2)	2000	—
10	अनाधिकृत व्यक्ति को अपना वाहन देना	5 / 180	5000	—
11	बिना ड्राइविंग लाइसेन्स वाहन चलाना	3 / 181	5000	—
12	अवयस्क व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना	4 / 181	2500	2500
13	निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना (हल्के वाहन)	112 / 183(1)	2000	अामनीय
14	निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना (भारी वाहन)	112 / 183(2)	4000	अामनीय
15	खतरनाक तरिके से वाहन चलाना	184	2500	—
16	भारीरक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना	186	1000	2000
17	सार्वजनिक स्थान पर सडक सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण/वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करना	190(2)	10000	10000
18	सार्वजनिक स्थान पर अपंजिकृत वाहन चलाना या अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अने यान पर प्रदर्शित करना	39 / 192	5000	10000
19	बिना बीमा के वाहन चलाना	146 / 196	2000	4000
20	वाहन में अनाधिकृत हस्तक्षेप या उसके रंग-रूप से छेडछाड करना	115 / 198	1000	—
21	ने-इण्ट्री	115 / 194	20000	—
22	अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेन्स देना	6(2) / 177	500	1500
23	12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर	47 / 177	500	1500
24	परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर	28 / 177	500	1500
25	मंग किये जाने पर मौके पर वाहन के कागजात प्रस्तुत न करना	130 / 177	500	1500
26	बिना परमिट के वाहन चलाना या परमिट के भार्त्तों का उल्लंघन करना	66 / 192	10000	10000
27	मदिरा/मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाना	185	2000	3000
28	मोटर कैब में किराया मीटर कार्य शील न होने पर	166(a) / 177	500	1500
29	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए अहर्त्य न हो	182(1)	10000	—
30	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र	135 / 194(क)	200 रू०	—

	में यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर		प्रति यात्री	
31	वहन चलाते समय या कोई व्यक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनावश्यक रूप से या आवकता से अधिक या निशिद्ध क्षेत्र में हार्न वजाता है	194(च)	1000	2000
32	इमरजेंसी वाहनों तथा एम्ब्यूलेंस अग्नि तमन यान इत्यादि को साइड या रास्ता न देने पर	194(ड)	10000	—

उपरोक्त धाराओं में किसी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की भाक्ति जनपद के हे0का0 (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति का न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं हाता है तो सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनो को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल सम्बन्धित केवल सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 भास्त्र लाइसेंस संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-

(पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आर0टी0संदे 1 संख्या:वाचक-6/2006(निर्दे 1) दिनांक: 24.08.2006 के अनुसार)

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से भास्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	पुलिस अधीक्षक	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय
सम्बन्धित थाने को अपराधिक इतिहास व आम गौहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में
डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के सम्बन्ध में जाँच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	04 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी	03 दिवस
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक	03 दिवस
जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेंस प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा	अविलंब

भास्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक सम्बन्धित थाने में प्रार्थना पत्र देता है थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा भास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पचात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.8 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-

3.3.8.1 प्राइवेट वेरीफिके ान

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	डी.एम. कार्यालय में वहाँ से प्रधानलिपिक के पास आयेगा	कार्यालय अवधि में
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित	अविलंब
20रु0 भुल्क के रूप में लिया जाना	भुल्क 20रु0 सम्बन्धित बैंक/ट्रेजरी में जमा कराया जाना	
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	1 दिवस में
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	6 दिवस में
चरित्र सत्यापन बाद जाँच डी.एम. कार्यालय वापस किया जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस में

3.3.8.2. पुलिस वेरीफिके ान

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मियों के नियुक्ति स्थल से कर्मियों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

3.3.8.3. सर्विस वेरीफिके ान

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मियों के	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना		
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

3.3.8.4. मिलीट्री सर्विस वेरीफिके ान:-

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
मिलीट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	तत्काल
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

3.3.8.5. ठेकेदारी वेरीफिके ान

कार्य	किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय भापथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रू0 भुल्क के रूप में लिया जाना	सम्बन्धित द्वारा स्वयं बैंक/ट्रेजरी में जमा करना	अविलंब
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	7 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	7 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	7

किया जाना		दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद/डी.एम. कार्यालय को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

4. कर्तव्य के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्ड:-

4.1.जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचो के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड:-

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1.	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमो के अनुरूप निर्धारित समय अवधि में
2.	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आव यक कार्यवाही करना	7 दिवस में
3.	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आव यक कार्यवाही करना	15 दिवस में
4.	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आव यक कार्यवाही करना	12 दिवस में
5.	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस में
6.	पासपोर्ट की जाँच उ०प्र० भासन के पत्र संख्या 616भा/छ: वीजा अनुभाग-4-2005-17/2/64/99 दिनांक: 21.10.2005 के अनुसार	20 दिवस में
7.	भास्त्र लाइसेंस की संस्तुति किया जाना	20 दिवस में
8.	प्राइवेट वेरीफिके िन	14 दिवस में
9.	पुलिस वेरीफिके िन	6 दिवस में
10.	सर्विस वेरीफिके िन	6 दिवस में
11.	मिलीट्री सर्विस वेरीफिके िन	6 दिवस में
12.	ठेकेदारी वेरीफिके िन	21 दिवस में

4.2. पुलिस आचरण के सिद्धान्त:-

1-भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना ।

2-बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रति षोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना ।

3-पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना ।

- 4-कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
- 5-पुलिस जन मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- 6-पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
- 7-प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- 8-पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
- 9-प्रत्येक पुलिस जन विशम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
- 10-हृदय से विनिश्चयता, विवसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विवास जीतना।
- 11-पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रासासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्य व नीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
- 12-पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुप्रासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
- 13-सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाईचारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्न नील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख:-
क्र०सं० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

- 1-पुलिस अधिनियम 1861
- 2-भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4-उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5-उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6-साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7-आर्म्स एक्ट 1959
- 8-सिविल अधिकार संरक्षण अधि० 1955
- 9-अनु०जाति व अनु०जनजाति अधि० 1989
- 10-केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
- 11-आवक वस्तु अधि० 155(उ०प्र० संशोधन अधि० 1978)
- 12-चोर बाजारी नियम और आवक वस्तु प्रदय अधि० 1980
- 13-खाद्य अपमिश्रण नियम अधि० 1954
- 14-उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
- 15-पुलिस अतिचार अधि० 1861
- 16-भ्रष्टाचान निवारण अधि० 1988
- 17-बन्दी अधि० 1900
- 18-सर्वाजनिक जुआ अधि० 1867

- 19-कि गोर न्याय अधि० 1986
- 20-दहेज प्रतिशोध अधि० 1961
- 21-राष्ट्रीय सुरक्षा अधि० 1980
- 22-स्वापक औशधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23-स्वापक औशधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधि० 1988
- 24-बन्दियों की िनाख्त अधि० 1930
- 25-लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० 1980
- 26-विस्फोटक अधि० 1884
- 27-विस्फोटक पदार्थ अधि० 1908
- 28-कुटुम्ब न्यायालय अधि० 1984
- 29-अपराधी परिवीक्षा अधि० 1958
- 30-अनैतिक व्यापार निवारण अधि० 1956
- 31-महिलाओं का अिाष्ट रूपण प्रति शोध अधि० 1986
- 32-भारतीय वन अधि० 1927
- 33-वन संरक्षण अधि० 1980
- 34-विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि० 2004
- 35-बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधि० 1955
- 36-विश अधि० 1919
- 37-मानव अधिकार संरक्षण अधि० 1993
- 38-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
- 39-रेल अधि० 1989
- 40-रेलवे सुरक्षा बल अधि० 1957
- 41-रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधि० 1966
- 42-पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधि० 1966
- 43-पुलिस द्रोह उद्दीपन अधि० 1922
- 44-राज्य स ास्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधि० 1952
- 45-केबिल दूरद िन नेटवर्क विनियमन अधि० 1995
- 46-ब्याज अधि० 1978
- 47-उत्तर प्रदे ा गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि० 1986
- 48- उत्तर प्रदे ा गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970
- 49- उत्तर प्रदे ा गौ सेवा आयोग 1999
- 50- उत्तर प्रदे ा गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970
- 51- उत्तर प्रदे ा वृक्ष संरक्षण अधि० 1976
- 52- उत्तर प्रदे ा प्रादे िाक स ास्त्र आरक्षक वर्ग अधि० 1948
- 53- उत्तर प्रदे ा डकैती प्रभावी क्षेत्र अधि० 1983
- 54- उत्तर प्रदे ा पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
- 55- उत्तर प्रदे ा अग्नि भामन सेवा अधि० 1944
- 56- उत्तर प्रदे ा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
- 57- उत्तर प्रदे ा सरकारी सेवक (अनु ासन और अपील नियमावली) 1999

- 58- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधि० 1955
 59- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
 60- उत्तर प्रदेश गोपाला अधि० 1964
 61- उत्तर प्रदेश गोपाला नियमावली 1964
 62- उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधि० 1994
 63- सूचना प्रौद्योगिकी अधि० 2000
 64- सूचना का अधिकार अधि० 2005
 65- वित्तीय हस्त पुस्तिका
 66- समय-समय पर निर्गत भासनादे
 67- उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सहायक एवं विनियमित करती हैं।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-

6.1. विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ भाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के सम्बन्ध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2.	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि०/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक माह सी.ओ. कार्यालय पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3.	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि०/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी भाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगी
4.	भगोड़ा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5.	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थानों/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6.	आरोप पत्र	अभियोग में प्रेशित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थानों पर	एक साल

7.	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल
8.	356 द0प्र0सं0 के अधीन दोश सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोश सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9.	432 द0प्र0सं0 के अधीन सर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोश सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
10.	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
11.	अपराध रजिस्टर	थाना क्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	पाँच साल
12.	चौकीदारो का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदार के पास	चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13.	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14.	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी थानो/पुलिस लाईन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
15.	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/विवेचको के पास	पाँच साल
16.	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेशित रिपोर्ट	सभी थाना पर	एक साल
17.	अगुश्ट छाप रजिस्टर	अपराधियो का नाम पता जिसका अगुश्टछाप लिया गया है।	सभी थाना पर	स्थानी रूप मे
18.	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षपीय अपराधो कि सूचक	सभी थाना पर	तीन साल
19.	गिरोह रजिस्टर	पजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाना पर व डीसीआरबी मे	पूर्ण होने के पाँच साल तक
20.	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिए प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थाना पर	दो साल
21.	जाँचोपरान्त 'अ'	थाना क्षेत्र के दुराचारियो के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थाना पर	तीन साल
22.	जाँच पर्ची 'ब'	थाना क्षेत्र मे मिलने वाल संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिए जारी पत्र.	सभी थानो पर	तीन साल

23.	सूची हिस्ट्री गिट	दुराचारियों का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप से
24.	पंचायतनामा जिल्द	अस्वभाविक मृत्यु की जाँच का विवरण	सभी थाना पर	एक साल
25.	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थाना पर व भाखाओं में	पाँच साल
26.	माल मसरूका रजिस्टर	चोरी/लूटी गयी एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थाना पर	पाँच साल
27.	रिमाण्डभीट पुलिस प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थाना पर	एक साल
28.	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाना पर	पूर्णता से पाँच साल तक
29.	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थाना पर	दो वर्ष
30.	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थाना पर	दो वर्ष
31.	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनाएँ	सभी थाना पर	स्थायी
32.	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नश्ट किये जाने के आदे 1 तक
33.	परिपत्र अनुदे गो की फाईल	परिपत्रों सम्बन्धी निर्दे 1	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नश्ट किये जाने के आदे 1 तक
34.	अपराधी जन जातियों का रजिस्टर	अपराधी जन जातियों के सम्बन्ध में	सभी थानो पर	उनके मृत्यु तक
	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधो की सूची	सभी थानों पर	निगरानी उचित समझे जाने तक
35.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी थानों पर	दो वर्षों तक
36.	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	सभी थानों पर	पाँच वर्षों तक
37.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र.	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी थानों पर	पाँच वर्षों तक
38.	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के सम्बन्ध में सभी थानों पर	सभी थानों पर	स्थायी

39.	गुम जुदगी रजिस्टर	गुम जुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी
40.	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
41.	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों का विवरण	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
42.	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
43.	जन शिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	सभी थानों/कार्यालयों पर	दो वर्ष
44.	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी
45.	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी
46.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	सभी कार्यालयों में	एक वर्ष

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ गाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष तक
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियों का न्यायालय भेजने के दिनांक: सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	दो वर्ष
4.	परिपत्र सूचनों की फाईल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष
6.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	एक वर्ष तक
7.	विशेष अपराध	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी	स्थायी

	पत्रावलियां		कार्यालय में	
8.	जॉच पत्रावलियां	िकायतो की जॉच के सम्बन्ध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष तक

6.3. अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	5 वर्ष
2.	परिपत्र सूचनओं की फाईल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदे 1 तक
3.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पाँच वर्ष
4.	अवका 1 रजिस्टर	आकस्मिक अवका 1 का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	एक वर्ष तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	स्थाई
6.	जॉच पत्रावलियां	िकायतो की जॉच के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पाँच वर्ष तक

6.3. पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	प्रधान लिपिक कार्यालय में	स्थायी
2.	हिस्ट्री पीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्ष
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	िकायत प्रकोश्ट कार्यालय में	5 वर्ष
5.	परिपत्र सूचनओं की फाईल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदे 1 तक
6.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पाँच वर्ष

			में	
7.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	एक वर्ष तक
8.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9.	सर्विस बुक/चरित्र पंजिका	समस्त रैंको के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10.	कैश बुक/पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन देन के सम्बन्ध में	आंकिक भाखा	स्थायी
11.	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के सम्बन्ध में	आंकिक भाखा	स्थायी
12.	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाईन	स्थायी
13.	हिन्दी आदेशों की पुस्तिका	समस्त आदेशों जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाईन	40 वर्षों तक

7. जनता की परामर्शदात्री समितियाँ:-

क्र० सं०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोशियों की आवृत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकावला करना	समय-समय पर
2.	पुलिस पेनानर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेनानर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेनानर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3.	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4.	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5.	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6.	भ्रान्ति समिति	क्षेत्र के समभ्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7.	मेला समिति	मेले से सम्बन्धित समभ्रान्त नागरिकों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व

8.	संसद व विधायकगण की गोश्टी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोश्टी	निकायतो के निस्तारण व सुझाव/परामर्श केन्द्र	मासिक
----	---------------------------	----------------------------------	---	-------

8. बोर्डो, परिशदो, समितियो और अन्य निकाय:-

पुलिस संगटन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नही है।

9. जनपद सम्भल के पुलिस अधिकारियो के टेलीफोन नम्बर अधिकारियो तथा कर्मचारियो की टेलीफोल डायरेक्ट्री

नाम/पद पुलिस अधिकारीगण		आवास नम्बर	कार्यालय नम्बर	मोबाइल नम्बर (व्यक्तिगत)	सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर
पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल	श्री चक्रे । मिश्र	05921-243118	05921-243117	—	9454400430
अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल	श्री आलोक कुमार जायसवाल	05923-231240	05923-233240	—	9454401093
क्षेत्राधिकारी सम्भल	श्री अरुण कुमार सिंह	—	05923-230231	—	9454401546
क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	श्री गोपाल सिंह	—	—	—	9454401547
क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	डॉ० राके । सिंह	—	—	—	9454401321
क्षेत्राधिकारी लाईन	श्री गोपाल सिंह	—	—	—	9454457659
क्षेत्राधिकारी यातायात	श्री गोपाल सिंह	—	—	—	9454457659
प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन	श्री सती । यादव	—	—	—	9454405131
मुख्य अग्नि तमन अधिकारी	श्री प्रताप सिंह	—	—	—	7839861585
फायर सर्विस सम्भल	श्री रामकुमार	—	—	—	9454418530
फायर सर्विस चन्दौसी	श्री खु । नूद अहमद	—	—	—	9454418532
फायर सर्विस गुन्नौर	श्री जागे । कुमार	—	—	—	9454418516
अभिसूचना भाखा	श्री अ । गोक कुमार	—	—	—	9454405130
जिला नियंत्रण कक्ष	श्री हरिराज सिंह	—	—	—	9454405190
प्रभारी निरीक्षक सम्भल	श्री विकास सक्सेना	—	05923-231457	—	9454404055
प्रभारी निरीक्षक नखासा	श्री धर्मपाल सिंह	—	05923-234284	—	9454404053
प्रभारी निरीक्षक हयातनगर	श्री सतेन्द्र भड़ाना	—	05923-272307	—	9454404040
थानाध्यक्ष असमोली	श्री रणवीर सिंह	—	05923-221564	—	9454404029
प्रभारी निरीक्षक	श्री देवेन्द्र	—	05921-250039	—	9454404035

चन्दौसी	कुमार भार्मा					
प्रभारी निरीक्षक बहजोई	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	—	05921-243229	—	9454404030	
थानाध्यक्ष बनियाठेर	श्री रविन्द्र सिंह	—	05921-255654	—	9454404031	
प्रभारी निरीक्षक कुढफतेहगढ	श्री वरुण कुमार	—	05921-233147	—	9454404046	
प्रभारी निरीक्षक गुन्नौर	श्री सती । आर्या	—	05836-233477	—	9454402938	
प्रभारी निरीक्षक रजपुरा	श्री विद्युत गोयल	—	—	—	9454402946	
थानाध्यक्ष धनारी	श्री कर्म सिंह पाल	—	—	—	9454402936	

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोशिक:—

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन:—

क्र०सं०	पद	मैट्रिक्स लेविल	पोष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशे । वेतन
1	पुलिस अधीक्षक	लेविल- 12	—	—	
2	अपर पुलिस अधीक्षक	लेविल- 12	800	300	—
3	पुलिस उपाधीक्षक	लेविल-11	800	300	—
4	निरीक्षक	लेविल -7	1200	188	—
5	उप निरीक्षक	लेविल -6	1200	188	—
6	मुख्य आरक्षी	लेविल -4	1500	188	—
7	आरक्षी	लेविल-3	1500	188	—
8	अनुचर	लेविल -1	1350	156	—

10.2 रेडियो के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन:—

क्र०सं०	पद	मैट्रिक्स लेविल	पोष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशे । वेतन
1	रेडियो निरीक्षक	लेविल -7	1200	188	
2	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी/रे०केन्द्र				—
3	हैड आपरेटर	लेविल -6	1200	188	—
4	स्हायक परिचालक	लेविल -5	1500	188	—
5	अनुचर/सन्देशवाहक	लेविल -2	1350	188	—

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन :-

क्र०सं०	पद	मैट्रिक्स लेविल	पोष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशे । वेतन
1	मुख्य अग्नि ।मन अधिकारी	लेविल -11	800	300	
2	अग्नि ।मन अधिकारी	लेविल -7	1200	188	—
3	अग्नि ।मन द्वितीय अधिकारी	लेविल -6	1200	188	—

4	लीडिंग फायरमैन / हैड कान्स0 चालक फायर सर्विस	लेविल -4	1500	188	—
5	फायरमैन	लेविल -3	1500	188	—
6	अनुचर	लेविल -1	1350	156	—

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन :-

क्र0सं0	पद	मैट्रिक्स लेविल	पोष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशे T वेतन
1	एस0आई0(एम)	लेविल -6	1200	188	60
2	ए0एस0आई0(एम)	लेविल -5	1200	188	—
3	ऊर्दू अनुवादक/सह कनि ठ लिपिक	लेविल -3	—	—	—

10.5 परिवहन गाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन :-

क्र0सं0	पद	मैट्रिक्स लेविल	पोष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशे T वेतन
1	एस0आई0 एमटी	लेविल -6	1200	188	60
2	मुख्य आरक्षी चालक	लेविल -4	1500	188	—
3	आरक्षी चालक	लेविल -3	1500	188	—

10.6 स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन :-

क्र0सं0	पद	मैट्रिक्स लेविल	पोष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशे T वेतन	प्रोत्साहन भत्ता
1	निरीक्षक अभिसूचना	लेविल -7	1200	—	2000	2000
2	उ0नि0 अभिसूचना	लेविल -6	1200	—	2000	2000
3	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	लेविल -4	1500	—	1000	1000
4	आरक्षी अभिसूचना	लेविल -3	1500	—	1000	1000

11- बजट की वर्तमान स्थिति दिनांक 31.03.2021

क्रमांक	मद का नाम	प्राप्त अनुदान	व्यय अनुदान	शे'ग अनुदान	अन्य विवरण
1	01-वेतन	746926000	774152630	(-)27226630	
2	02-मजदूरी	195000	171784	23216	
3	03-महंगाई भत्ता	153446000	127268968	28678032	
4	04-यात्रा व्यय	27319000	27514122	(-)195122	
5	05-स्थानांतरण यात्रा भत्ता	3163000	3214866	(-)51866	
6	06-अन्य भत्ता	33696000	35819793	(-)2123793	
7	08-कार्यालय व्यय	1257000	1288601	(-)31601	
8	08-चौकीदारों के साइकिल, टार्च	399568	399565	03	

	परिचय पत्र हेतु व्यय				
9	09-विद्युत व्यय	12928000	12928000	-	
10	10-जलकर/जलप्रभार	432336	432336	-	
11	11-लेखनसामग्री/फार्मों की छपाई	420000	1919925	(-1499925)	
12	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	226000	224954	1046	
13	13 टेलीफोन पर व्यय	100000	100000	-	
14	15-गाड़ियों के डीजल/पैट्रोल पर व्यय	13854000	13853903	97	
15	16-व्यवसायिक सेवाएं (मा0 न्यायालय फीस)	505000	505000	-	
16	17-किराया उपशुल्क एवंकर	-	-	-	
17	20- सहायक अनुदान/अंशदान	51000	50999	01	
18	23-गुप्त सेवा व्यय	32500	32500	-	
19	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एव संयंत्र	1642000	552000	1090000	
20	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एव संयंत्र	218400	217908	492	
21	29-वा ^र क ^क क अनुरक्षण	1650000	1648978	1022	
22	42-पारितो ^र क ^क	353000	353000	-	
23	42-एस0ए0एफ0	219000	218939	61	
24	42-कल्याण निधि	295000	294896	104	
25	42-लावारिश शवों के अन्तिम संस्कार हेतु	29700	10800	18900	
26	42-अन्य व्यय(स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट)	750000	750000	-	
27	42/08-अन्य व्यय(ग्रुपिंग से)	753000	782059	(-29059)	
28	42 अन्य व्यय(महिला हेल्ड डेस्क स्थापना)	700000	700000	-	
29	42 अन्य व्यय(महिला हेल्ड डेस्क स्थापना)	500000	500000	-	
30	42 अन्य व्यय (ए0एच0टी0यू0 की व्यवस्था हेतु)	470000	469998	02	
31	42 अन्य व्यय कोरोना वायरस के बचाव हेतु	2996000	2995809	191	
32	42 अन्य व्यय मानवाधिकार हनन प्रकरण	525000	525000	-	
33	42 यातायात व्यवस्था हेतु 2055 00 800 15	408900	408201	699	
34	42 अन्य व्यय चौकीदार	17000	17000	-	

35	44- <u>ई</u> ाक्षण यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	65234	64351	883	
36	45-अवकाश यात्रा व्यय	247000	—	247000	
37	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	168612	168441	171	
38	49-चिकित्सा व्यय	9212000	9211453	547	
39	51 वर्दी व्यय (स्टेशनरी क्रय हेतु)	1549000	48970	1500030	
40	55-मकान किराया भत्ता	18398000	18772839	(-) <u>374839</u>	
41	56-नगर प्रतिकर भत्ता	1255000	157820	1097180	

बजट थानो के उपयोगार्थ व'क-2020-21

1	02-मजदूरी	383000	267360	115640	
2	08-कार्यालय व्यय	1080000	1079994	06	
3	08 कार्यालय व्यय (विवेचना हेतु)	200000	200000	—	
4	11-लेखनसामग्री/फार्मों की छपाई	367000	366795	205	
5	12-कार्यालय फर्नीचर	203000	202575	425	
6	15-गाडियों के डीजल/पैट्रोल पर व्यय	3372000	3371898	102	
7	23-गुप्त सेवा व्यय	56000	56000	—	
8	29-वा'क <u>ZZ</u> क अनुरक्षण	605000	605000	—	
9	42-अन्य व्यय	890200	890200	—	
10	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	1068000	1067829	171	
11	47-कम्प्यूटर <u>अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी</u> का क्रय	1576495	1575674	821	

डायल-112 परियोजना हेतु

1	08 कार्यालय व्यय	62000	61999	01	
2	15-मोटर गाडियों की <u>अनुरक्षण, गाडियों के टायरट्यूब एवं बैटरी क्रय</u> पर व्यय ।	— 3899000	— 3898925	— 75	
3	16-व्यवसायिक तथा विशेषसेवाएँ	37939560	37919112	20448	
4	44-प्रशिक्षण व्यय	757620	756787	833	

वेतनीय मदों में प्राप्त अनुदान

लेखा 'kh"KZd/मानकमद	2020-2021 हेतु स्वीकृत अनुदान (अतिरिक्त अनुदान सहित)	अब तक हुआ कुल व्यय
1	2	3
वेतन	746926000	774152630
महगाई भत्ता	153446000	127268968
अन्य भत्ते	33696000	35819793
मकान किराया	18398000	18772839
नगर प्रतिकर भत्ता	1255000	157820

12. सभिसडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में काई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण:-

भुन्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता:-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध के बाद उसकी प्राप्ति क सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

15. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिको को प्रदत्त सुविधायें:-

क० सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ०पु०अ०/सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो सम्बन्धित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से भाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवका णे को छोड़कर)
2.	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3.	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा व्यक्ति की जीवन रक्षा के संबंध में 48 घण्टे
4.	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनरा णी (10 रू० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के प चात 5 रू० प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक भाखा में नगद	उपरोक्त
5.	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली रा णी का विवरण (10 रू० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को नि: णुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित परिपत्रों को कार्यालय से	सम्बन्धित व्यक्ति	कार्यालय समय में

पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा तथा अतिरिक्त प्रतियां होने पर अतिरिक्त भुल्क वहन करना होगा		
---	--	--

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रू० प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रू० अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-

जनपद सम्मल पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है:-

जन सूचना अधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्मल	मो० नं०:(सी०यू०जी०) 9454401093
सहायक जन सूचना अधिकारी	क्षेत्राधिकारी सम्मल	मो० नं०:(सी०यू०जी०) 9454401546
	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	मो० नं०:(सी०यू०जी०) 9454401547
	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	मो० नं०:(सी०यू०जी०) 9454401321
	क्षेत्राधिकारी लाईन	मो० नं०:(सी०यू०जी०) 9454457659
प्रथम अपीलीय अधिकारी	पुलिस अधीक्षक	मो० नं०:(सी०यू०जी०) 9454400430

17. अन्य कोई विहित सूचना नहीं:-

(आलोक कुमार जायसवाल)
अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचनाधिकारी
जनपद सम्मल।

